पंचायत निर्वाचन

फोटोयुक्त मतदाता सूची

तैयार करने हेतु नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए

निर्देश-पुस्तिका

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल
(जनवरी, 2014)

प्रस्तावना

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु एक शुद्ध एवं त्रुटिविहीन निर्वाचक नामावली का होना अनिवार्य है। त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण निर्वाचक नामावली चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाली अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों का मुख्य कारण बन सकती है।

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने, अर्हता रखने वाले सभी नागरिकों का मत देने का अधिकार सहजता से उपलब्ध कराने तथा चुनाव के दौरान अनियमितताएं न हों इसके लिए निर्वाचक नामावली को अद्यतन बनाना तथा उसका पुनरीक्षण करना होता है।

ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली मतदाता सूची तैयार करने में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व में यह पुस्तक मई—2009 की स्थिति में प्रकाशित की गई थी। वर्तमान में यह पुस्तक जनवरी 2014 की स्थिति में पुनः संशोधित की गई है। इस पुस्तक में प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों एवं सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

आयोग का संकल्प है कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को अक्षुण्ण बनाने के निरंतर प्रयास होते रहे। आशा है कि यह पुस्तिका प्राधिकृत कर्मचारियों के लिये उनके विविध-कर्तव्यों के निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगी।

(आर. परशुराम)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
मध्यप्रदेश

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व	1–3
2	सुसंगत संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान	4
3	निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशासनिक ढाँचा	5
4	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए अर्हता और निर्हरता	6
5	दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही	7–10

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
एक	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा-आवेदन	11–13
दो	मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति	14–16
तीन	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति	17–19
चार	दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण	20

अध्याय-1

प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व

(1.1) प्राधिकृत कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग का स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि होता है जो वास्तव में अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सूचनाएं एकत्रित करने तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने, पुनरीक्षण एवं उसके रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्राधिकृत कर्मचारी एक स्थानीय सरकारी/अर्द्ध शासकीय कर्मचारी होता है, जो स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से भिन्न होता है तथा सामान्यत: उसी मतदान क्षेत्र का मतदाता होता है जो स्थानीय भाषा में निर्वाचक नामावली को अद्यतन रखने का कार्य करता है। यद्यपि प्राधिकृत कर्मचारी पूर्णकालिक चुनाव अधिकारी नहीं होता है परन्तु इसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले काम के कारण इसकी जिम्मेदारी अत्यधिक होती है। प्राधिकृत कर्मचारी के पास एक या दो मतदेय स्थलों का दायित्व होता है और यहां के स्थानीय निवासियों के लिए वह मित्र और मार्गदर्शक का कार्य करता है।

(1.2) मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। सूची जितनी परिपूर्ण और सही होगी चुनाव उतने ही साफ-सुथरे होंगे। अत: यह आवश्यक है कि मतदाता सूची में यथासम्भव ऐसे सभी लोगों के नाम सम्मिलित हों जिन्हें कानूनन मतदान का अधिकार प्राप्त है और साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

पंचायत निर्वाचन के लिए, मतदाता सूची ग्राम पंचायतवार/वार्डवार तैयार की जाती है। यह सूची विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूची (अर्थात् अद्यतन सूची) पर आधारित रहती है। इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को ग्राम पंचायतवार छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके पहले प्रारूप सूची या प्रारंभिक सूची बनाई जाती है। तत्पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत से संबंधित प्रारुप सूची को, कम से कम 5 दिन तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में आम लोगों के निरीक्षण करने और उसके संबंध में दावे आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए रखा जाता है साथ ही संबंधित जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय में भी उनके अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां आम लोगों के निरीक्षणार्थ रखी जाती हैं। निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय में, सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने के लिए तथा उसमें नए नाम जोड़े जाने या सम्मिलित गलत नाम हटाए जाने या किसी अशुद्धि या त्रुटि को सुधारे जाने के संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। ऐसा कर्मचारी, जिसे ''प्राधिकृत कर्मचारी'' कहा जाता है। संबंधित तहसील के तहसीलदार/अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। उपरोक्त राजस्व अधिकारी मतदाता सूची से संबंधित कार्य सम्पन्न करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हैसियत में कार्य करते है। जिला स्तर पर इस कार्य की देख-रेख उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत स्तर के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहां कि प्रारुप मतदाता सूची का निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियां प्राप्त की जावेंगी, आपको ''प्राधिकृत कर्मचारी'' के तौर पर नियुक्ति किया गया है। आपका चयन इस बात का सूचक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने आपकी क्षमता पर भरोसा किया है। अत: आपका यह पुनीत कर्तव्य है कि इस भरोसे के अनुरुप आप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से सम्पन्न करें।

हालांकि प्रारुप मतदाता सूची का आम लोगों द्वारा निरीक्षण किये जाने और दावे तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए नियमों में न्यूनतम 5 दिन का समय निर्धारित है परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस हेतु सामान्यत: कुछ अधिक समय दिया जाता है। इस अवधि के दौरान आपको प्रत्येक कार्यकारी दिन उस केन्द्र (स्थान) पर, जहां कि आपकी ड्यूटी लगायी है, दिन भर (अर्थात् प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक) उपलब्ध रहना होगा। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही को एक गम्भीर कदाचरण माना जायेगा।

जिस तारीख को प्रारुप मतदाता सूचियों का प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सार्वजनिक प्रकाशन होगा अर्थात् जिस दिन से उनका आम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, उसके पहले ही आपको संबंधित ग्राम पंचायत की प्रारुप मतदाता सूची की एक प्रति उपलब्ध करा दी जायेंगी। ऐसी तारीख के लगभग एक सप्ताह पूर्व आपको, आपकी नियुक्ति का आदेश भी सीधे या आपके विभागीय नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आपको आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिए तहसील मुख्यालय पर किस तारीख को उपस्थित होना है। तद्नुसार उस दिन आपको समय पर, हर-हालत में तहसील मुख्यालय पहुंचना होगा। तहसील मुख्यालय तक आने-जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आपको, यथासंभव प्रशिक्षण के दिन ही, मानदेय का भुगतान किया जायेगा। प्रशिक्षण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अर्थात् तहसीलदार या अपर तहसीलदार) द्वारा दिया जायेगा जो लगभग 3 घण्टे तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र में संबंधित जनपद पंचायत/विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेंगे।

प्रशिक्षण में आपको, आपके कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। अपनी शंकाओं के निवारणार्थ आपको किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने पर पूरी छूट होगी। आपको यह भी समझाया जायेगा कि दावे और आपत्तियों के लिए निर्धारित प्ररुपों (फार्मस्) को कैसे भरा जाना है और उनके संबंध में आपके द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जांच या पूछ-ताछ में किन-किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है। इस प्रशिक्षण को आप जितनी गम्भीरता से लेंगे उतना ही आपके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना स्वयं ही (अकेले) करना पड़ेगा।

प्रशिक्षण सत्र में आपको निम्नांकित सामग्री प्रदाय की जायेगी :—

1. संबंधित ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति,
2. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये 3 किस्म के प्ररूप (फॉर्म) (आवश्यक संख्या में प्ररुप क, ख एवं ग),
3. प्राप्त दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण फार्म (आवश्यक संख्या में)।

नोट.—जनपद पंचायत तथा तहसील कार्यालय पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को संबंधित जनपद पंचायत के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का एक सेट दिया जायेगा।

प्रदाय की गई उपरोक्त सामग्री की सुरक्षा और देखभाल के लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

आपको दिये जाने वाले दावा फार्मों (प्ररूप-क) की संख्या, ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या की लगभग 2.5 प्रतिशत रहेगी, जबकि आपत्ति फार्मों (प्ररूप-ख तथा प्ररूप-ग) की संख्या 0.5 प्रतिशत रहेगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण तैयार करने के लिए प्रदाय किये जाने वाले फार्मों की संख्या, 2 फार्म प्रतिदिन के मान से उतने दिनों के लिए होगी जितने दिनों तक मतदाता सूची को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए खुला रखा जायेगा साथ ही आपको कोरे कागज की 2 सीट भी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि को विशेष सूचना या रिपोर्ट भेजने के लिए प्रदाय की जायेंगी।

प्राधिकृत कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व

प्राधिकृत कर्मचारी उसे आवंटित किये गये निर्वाचक नामावली के भाग का भली-भांति अध्ययन करेंगे। वह संबंधित पंचायत का नियमित भ्रमण कर स्थानीय लोगों विशेष कर बुजुर्गों एवं निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित

करेंगे तथा मृत/शिफ्टेड/डुप्लीकेट मतदाताओं के उन नामों को चिन्हित करेंगे, जिन्हें सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हटाने की आवश्यकता है। प्राधिकृत कर्मचारी के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है:—

- दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त करना।
- परिवर्धन एवं अपमार्जन त्रुटियों की जांच।
- शिफ्टेड, मृत एवं अस्तित्वविहीन मतदाताओं की पहचान करना।
- निर्वाचक नामावली में वर्तनी, दोहरे नाम की प्रविष्टियों, नामावली के हेडर पेज, फोटो आदि की जांच।
- मतदाताओं के फोटो प्राप्त करना।
- मतदाताओं के मोबाईल नम्बर प्राप्त करना। (वैकल्पिक)।
- जिन लोगों के नाम हटाए जाने हैं, उन्हें नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- पदाविहित स्थानों पर नामावली के आलेख/निर्धारित नोटिसों को प्रदर्शित करना।
- ई.वी.एम. के विषयक जन जागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार।
- भाग में आने वाले भवनों को सही प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना ? तथा अनुभागों की शुद्ध क्रमबद्धता।
- राजनैतिक दलों के प्राधिकृत कर्मचारियों के साथ समन्वय रखना।
- प्राप्त प्रपत्रों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना।
- पंजीकरण के समय मतदाता को निर्वाचन सम्बन्धी सामान्य जानकारी देना।
- चुनाव के पहले मतदाता पर्ची का वितरण।
- सामान्य भौगोलिक चौहद्दी के साथ नजरी नक्शा तैयार करना जिससे विशेष रूप से नई विकसित कालोनियों की ओवर लैपिंग न होने पाये।

प्राधिकृत कर्मचारियों की किट

प्राधिकृत कर्मचारियों को निम्नानुसार सामग्री प्रदाय की जायेगी:—

1. प्राधिकृत कर्मचारी की हस्तपुस्तिका की एक प्रति।
2. प्राधिकृत कर्मचारी का रजिस्टर।
3. प्राधिकृत कर्मचारी का पहचान-पत्र।
4. समुचित मात्रा में कागज तथा लिखने की तख्ती।
5. सादा रजिस्टर।
6. पेन्सिल, रबर तथा कलम, पटरी।
7. समुचित मात्रा में प्ररुप क, ख, ग, एवं घ प्रपत्र।

अध्याय-2

सुसंगत संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

त्रि-स्तरीय पंचायतों(अर्थात् ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत) के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक ऐसा ही आनुषांगिक प्रावधान मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 में भी है। अनुच्छेद 243-ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत हर व्यक्ति जिसने प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तथा भारतीय नागरिक हो और भारतीय संविधान या समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत अनिवास, मानसिक रूप से विक्षिप्त चित्त विकृत अपराध या भ्रष्टाचार में निरर्हित घोषित न किया गया हो, को छोड़कर मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने हेतु पात्र होगा।

अध्याय-3

निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशासनिक ढाँचा

प्रशासनिक ढाँचा	वैधानिक प्रावधान
म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग	राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचक प्रणाली के प्रशासनिक ढाँचे के शीर्ष क्रम में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली को तैयार करने का अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी	प्रत्येक जिले में कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जो निर्वाचक नामावली सूची की तैयारी, पुनरीक्षण एवं निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य अपने पर्यवेक्षण से सम्पन्न करवाते हैं।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण हेतु एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है।
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता एवं सहयोग के लिये एक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है।
प्राधिकृत कर्मचारी	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता एवं सहयोग के लिये प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है। प्राधिकृत कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण/पर्यवेक्षण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है।
अपीलीय अधिकारी	निर्वाचक नामावली की तैयारी अथवा पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत दावे/ आपत्तियों के निराकरण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार एक अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

अध्याय-4

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता और निर्रहता

1. कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह:—

(क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की जा रही है) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है।

(ख) उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का सामान्य तौर से निवासी है, और

(ग) विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त ग्राम पंचायत से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है।

2. कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह:—

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) पागल (विकृत चित्त का) है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है,

(ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान के लिये अयोग्य है।

3. किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा।

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो।

4. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 2 (ख) के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर "अपील प्राधिकारी" को अपील कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित राजस्व अनुभाग या तहसील या खण्ड (अर्थात् जनपद पंचायत क्षेत्र) के जिले में पदस्थ अपर/संयुक्त/डिप्टी/सहायक कलेक्टर को, अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है।

अध्याय-5

दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आपको अपने केन्द्र (अर्थात् ग्राम पंचायत के कार्यालय में) में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए। इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूची का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए। तदुपरान्त यदि वह सूची में अपना या अपने परिवार के, किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिए पात्र है), जोड़े.जाने के लिए या सूची में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिए या सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम हो हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र (दावा या आपत्ति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्ररुप) तत्परता से नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए. दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन, प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है। परन्तु ऐसा करने के लिए नियत आखरी तारीख को केवल 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति दावा या आपत्ति, आपको प्रस्तुत करने के बजाय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो, वह ऐसा कर सकता है।

(2) सामान्यत: व्यक्तिश: प्रस्तुत आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित आवेदन-पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए। यदि कोई अन्य व्यक्ति भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबंधित व्यक्तियों से अलग-अलग आवेदन-पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग-अलग पूछ-ताछ की जानी होगी.

(3) दावे तथा आपत्तियां निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं:—

(क) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना,

(ख) नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना, तथा

(ग) मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है।

दावे और आपत्तियां आयोग द्वारा निर्धारित प्ररुप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वे अपने मन से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक नहीं हैं। वे निर्धारित प्ररुप की फोटोकापी में, या टाईप किये हुए या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते है।

आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित है :—

(1) दावा—(प्ररूप-क) "दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। दावा आवेदन पत्र का नमूना **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।"

दावे के समर्थन में आवेदन-पत्र में यथास्थान किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है।

''यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।''

(2) आपत्तियां (प्ररूप-ख तथा प्ररूप-ग)—आपित्तयां दो प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात् :—

(I) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे**—(जैसे-मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) ''के संबंध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति'' **(प्ररूप-ख) :—**

ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है। इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आपत्ति से संबंधित आवेदन-पत्र का नमूना **परिशिष्ट-2** में दिया गया है।

(II) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपित्त (प्ररूप-ग)**—ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो उस ग्राम पंचायत का मतदाता है। साथ ही, ऐसी आपत्ति के समर्थन में, आवेदन-पत्र में यथास्थान, किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जो पहले से ही उस ग्राम पंचायत का मतदाता है। ऐसी आपत्ति से संबंधित आवेदन-पत्र का नमूना **परिशिष्ट-3** में दिया गया है।

(4) आपका यह कर्तव्य है कि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररूप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मांगे तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें।

(5) आपको यह अवश्य देख लेना चाहिये कि जो दावे या आपत्तियॉं आपको प्रस्तुत की जाये वे सही प्ररुप में हो सभी प्रविष्टियॉं स्पष्ट रूप से भरी गई हों कोई कमी हो तो उसे प्रस्तुति के समय ही आवेदनकर्ता से ठीक करा लें। विशेष कर यह देख लें कि आवेदक का पता (गृह क्रमांक, ग्राम इत्यादि) ठीक से लिखा है, अपूर्ण तथा अस्पष्ट प्रविष्टियों के कारण प्रारंभिक जॉंच में कठिनाई हो सकती है।

(6) कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त होने पर आपके द्वारा दावेदार या आपत्तिकर्ता को, संगत प्ररूप के अंत में लगी हुई ''आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना'' हाथों-हाथ दी जाए। मामले में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए वह तारीख डाली जाए जो दावा या आपित्त प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो। उदाहरणार्थ यदि दावा या आपत्ति आवेदन-पत्र 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिए पेशी तारीख 9 की डाली जाए। परन्तु यदि 9 तारीख को सार्वजनिक अवकाश हुआ तो पेशी की 10 डाली जाए। साथ ही दावेदार या आपत्तिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर, उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए।

(7) प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए। पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाए :—

(i) 1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज (प्रमाण-पत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे कि 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधान सभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है?

(ii) वह सामान्यतया कहां रहता है अर्थात् उसका मामूलीतौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन-कौन से लोग हैं तथा क्या उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं? वह स्वयं के मकान में रहता है या किराये के मकान में? यदि किराये के मकान में रहता है तो कब से और मकान मालिक का क्या नाम है?

(iii) जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपित्त (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई? क्या ग्राम की मृत्यु पंजी में उसकी मृत्यु दर्ज है?

(iv) जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में बने रहने पर इस आधार पर आपत्ति (तथा नाम हटाए जाने के लिए मांग) की गई है। कि ऐसा व्यक्ति गांव का मामूली तौर पर निवासी न होकर किसी और गांव में रहता है या नौकरी या अन्य व्यवसाय के सिलसिले में अन्यत्र चला गया है या किसी महिला के मामले में वह विवाह के पश्चात् ससुराल चली गई या ऐसा व्यक्ति किसी अन्य कारण से अपात्र या निरर्ह है, वह कब और कहां चला गया है या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?

(8) उपरोक्त पूछ-ताछ के पश्चात् ही आपको दावे या आपत्ति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए। उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि आपकी राय में दावा या आपत्ति स्वीकार करने योग्य है या नहीं?

पूछ-ताछ के समय आपको यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता की ओर से कोई कागज-पत्र प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें भी उसके प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाए। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिए आगे और पूछ-ताछ कर सकता है या अलग से और भी जांच कराकर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है।

(9) आपके द्वारा, **प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण** उसी दिन शाम को **परिशिष्ट-4** में दिये फार्म में दो प्रतियों में तैयार किया जाए। इस विवरण की एक प्रति, प्राप्त दावे और आपत्ति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दी जाए, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् ग्राम पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10.00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिए लगा दी जाए। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए। इसके पीछे मंशा यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो ग्राम के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिए आपको या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सकें। यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए। दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के संबंध में उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या आपको जैसे भी निर्देश दिये हों, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए।

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार न किया जाए। उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण, उसी दिन शाम तक पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपत्ति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतु तैयार कर ली जाए।

(10) कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखिरी दैनिक विवरण के साथ प्रारुप मतदाता सूची तथा बचे हुए प्ररुप (फार्म) सादे कागज पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिये जाएं।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए म. प्र. स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस. एल. ए.) नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस. एल. ए.) द्वारा प्रत्येक जिले में वेण्डर नियुक्त किया गया है। वेण्डर से डाटा एन्ट्री के उपरान्त चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी जांच आपके द्वारा की जाएगी। नियत समय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात् फोटायुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कोई त्रुटि नहीं हो यह आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

प्ररूप-क

परिशिष्ट-1

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा-आवेदन

[नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप-क'']

हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (3.5 से. मी.×3.5 से. मी.), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
ग्राम पंचायत .... विकासखंड ....
जिला ....

महोदय,

मैं प्रार्थना करता / करती हूं कि उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक. .... में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, मेरा नाम (पूरा) .... पुरुष/स्त्री/अन्य .... पिता/पति का नाम .... गृह क्रमांक . . . . . ग्राम .... विकासखंड .... जिला ....

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :—

(i) मैं भारत का/की नागरिक हूं।

(ii) गत 1 जनवरी को मेरी आयु . . . . वर्ष और . . . . मास थी।

(iii) मैं ऊपर दिए गए पते वाले स्थान का / की सामान्यत: निवासी हूं।

(iv) मैंने उक्त ग्राम पंचायत के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(v) उक्त ग्राम पंचायत या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

*मेरा नाम ग्राम/नगर .... जिला .... जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यत: निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूची में सम्मिलित है, और मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उसे उक्त मतदाता सूची से हटा दिया जाए :—

*ग्राम .... वार्ड क्रमांक . . . . ग्राम पंचायत .... विकासखंड .... जिला ....

*नगर .... वार्ड क्रमांक . . . . तहसील ....
जिला .... स्थान .... तारीख . . . .

....
दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

दावे का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं जिसमें सम्मिलित किए जाने के लिये दावेदार ने आवेदन किया है। मेरा नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक . . . . की मतदाता सूची में क्रमांक . . . . पर दर्ज है। मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

. . . .
समर्थक के हस्ताक्षर

पूरा नाम . . . .

टिप्पणी :—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख . . . .

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

. . . .
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

तारीख . . . .

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . जो ग्राम . . . . का/की निवासी है, से **प्ररूप-क** में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान . . . . में स्थित अपने कार्यालय में तारीख . . . . को समय 10.30 बजे प्रात: की जाएगी। वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख . . . .

प्राधिकृत अधिकारी . . . .
ग्राम पंचायत . . . .
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख. . . . . को प्रात: 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

तारीख . . . .

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम . . . .)

ग्राम पंचायत. . . . .

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक . . . .

तारीख. . . . .

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . जो . . . .

. . . . का/की निवासी है, द्वारा ''द्वारा ''**प्ररूप-क**'' में प्रस्तुत आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक . . . . . . की मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :—

. . . .

. . . .

. . . .

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

मोहर

प्ररूप-ख

परिशिष्ट-2

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति

[नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप-ख'']

हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (3.5 से. मी.×3.5 से. मी.), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
ग्राम पंचायत .... विकासंखंड ....
जिला ....

महोदय,

मैं, निवेदन करता/करती हूं कि उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक . . . . की मतदाता सूची की प्रविष्टि, जो क्रमांक . . . . पर .... के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। कृपया उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप से पढ़ी जाए:—

....

....

स्थान ....
तारीख . . . .

....
मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पूरा नाम ....

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख . . . .

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपित्त पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

....
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

तारीख . . . .

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... का/की निवासी है, से **प्ररूप-ख** में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान .... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख .... को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी। वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख ....

प्राधिकृत कर्मचारी ....

ग्राम पंचायत ....

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख .... को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच -पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

....

....

....

....

....

तारीख ....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम ....)

वार्ड का क्रमांक ....

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक . . . .   तारीख . . . .

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो ग्राम .... का/की निवासी है, द्वारा "**प्ररूप-ख**" में प्रस्तुत आपत्ति को—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगी —

....

....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है:—

....

....

मोहर

. . . .

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्ररूप-ग

परिशिष्ट-3

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

[नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप-ग'']

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
ग्राम पंचायत .... विकासखंड .... जिला ....

महोदय,

मैं, उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक .... में क्रमांक .... पर श्री/श्रीमती/कुमारी .... का नाम सम्मिलित किए जाने पर, निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता/करती हूं:—

....

....

2. मैं, घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। उक्त वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है:—

पूरा नाम .... पुरुष/स्त्री/अन्य ....

पिता/पति का नाम ....

वार्ड क्रमांक .... मतदाता क्रमांक ....

तारीख ....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा डाक पता ....

....

आपत्ति का समर्थन

मैं, उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपत्ति की गई है। मेरा नाम वार्ड क्रमांक. . . . . की मतदाता सूची . . . . में क्रमांक . . . . . . पर दर्ज है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

. . . .

मतदाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम . . . .

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का *उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख . . . .

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

. . . .

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

तारीख . . . .

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो ग्राम .... का/की निवासी है, से **प्ररूप-ग** में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान .... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख .... को समय 10.30 बजे प्रात: की जाएगी. वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख ....

प्राधिकृत कर्मचारी ....
ग्राम पंचायत ....
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख .... को प्रात: 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक पूछ-ताछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

....
....
....
....

तारीख ....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम ....)

ग्राम पंचायत ....

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक ....

तारीख ....

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो ग्राम .... का/की निवासी है, द्वारा **"प्ररूप-ग"** में प्रस्तुत आपत्ति को :—

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक .... पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी .... के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है:—

....
....

मोहर

....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट-4

ग्राम पंचायत .... विकास खण्ड ....

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख ....

भाग-1—दावे :— (नाम जोड़ने के लिए)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता / पति का नाम	वार्ड और ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जांच / सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग-2—आपत्तिः—(प्रविष्टियों के संशोधन के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता / पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जांच / सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग-3—आपत्तिः—(नाम विलोपित किये जाने के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता / पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच / सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कार्य स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर

प्राधिकृत कर्मचारी

शाकेमुभो—46—उसरानिआ—1-5-14—33,000.

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल